उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक सुरक्षा अनुभाग
संख्या:1/100/2019/83-19-13सीडी/2004
लखनऊ: दिनांक: 08-02-2019

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक सुरक्षा विभाग में पदों के सृजन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-2210/सत्ताइस-87सीडी/1969 दिनांक 06-09-1971 के परिशिष्ट-'क' के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी का पद उ0प्र0 पुलिस सेवा के संवर्ग में अस्थाई वृद्धि के रूप में होगा। उक्त पद को वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक से भरा जाता है। गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-513/छ:पु0से0-1-2018-622(30)/2016 दिनांक 20-04-2018 में नागरिक सुरक्षा निदेशालय में सृजित कनिष्ठ स्टाफ आफिसर के पद को प्रतिनियुक्ति का पद मानते हुए उक्त पद को पुलिस उपाधीक्षक (साधारण वेतनमान) के संवर्गीय पदों में सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 06-09-1971 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी के पद को पुलिस उपाधीक्षक के स्थान पर नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2210/सत्ताइस-87सीडी/1969 दिनांक 06-09-1971 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

राजन शुक्ला
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1/100/2019(1)/83-19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0।
3- सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
5- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6- निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रक), अनुभाग-12
8- समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा जनपद।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।